

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

मुख्यमंड संख्या-01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।

पत्रांक:-ग्रे.नो./संस्थागत/2024/963
दिनांक:- 11/01/2024

कार्यालय-आदेश

प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 26.12.2023 के मद संख्या-133/38 में शासनादेश संख्या:-114/आई.आई.डी.सी./2023, दिनांक 16.11.2023 के अनुपालन में निवेश के हित के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2011 तक के संस्थागत आवंटनों हेतु समय विस्तरण विषयक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मा0 संचालक मण्डल द्वारा सन्दर्भित प्रस्ताव के बिन्दु संख्या-01 के अन्तर्गत अपंजीकृत आवंटनों के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थगित रखते हुए उक्त श्रेणी के आवंटनों का विवरण पृथक से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा बिन्दु संख्या-2 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति एवं कार्यपूर्ति स्वीकृति हेतु लम्बित आवंटनों में मानचित्र स्वीकृति प्राप्त कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भूखण्ड के सापेक्ष समस्त देयताओं को जमा कराते हुए दिनांक 31.12.2024 तक समय विस्तरण अनुमन्य किया गया। इस श्रेणी में आने वाले समस्त आवंटनों में दिनांक 31.12.2022 तक समय विस्तरण शुल्क कार्यालय-आदेश दिनांक 29.02.2020 के अनुसार देय होगा तथा इसके उपरान्त दिनांक 31.12.2024 तक समय विस्तरण शुल्क प्रतिवर्ष कुल प्रीमियम की 04 प्रतिशत धनराशि आनुपातिक रूप से देय होगी। प्राधिकरण हर एक प्रकरण को गुणदोष के आधार पर केस टू केस देखेगा, तदानुसार ही समयवृद्धि प्रदान की जायेगी। उपरोक्त अनुमन्य समयावधि में आवंटियों द्वारा परियोजना क्रियान्वयन न करने पर आवंटन निरस्त किये जायेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(सौम्य श्रीवास्तव)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम0/जी0/एल0/डी0/एस.के.एस.), ग्रेटर नौएडा।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस.के./एच.वी), ग्रेटर नौएडा।
4. महाप्रबन्धक(वित/नियोजन), ग्रेटर नौएडा।
5. प्रभारी (सिस्टम/बोर्ड बैठक/मार्केटिंग) को प्राधिकरण की वेबसाईट एवं सूचना के प्रकाशन के आशय से प्रेषित।

(4151)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी